REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 9 | JUNE - 2021

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों की उपादेयता

डॉ. कमलेश नारायण मिश्र[1] , डॉ. अंजुलता मिश्र[2]
[1]एशोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,राजनीति विज्ञान विभाग, मदन मोहन मालवीय (पी.जी. कॉलेज)
भाटपार रानी, देवरिया (दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से संबद्ध)
[2]सहायक प्राध्यापिका (इतिहास विभाग),अवध सेन्टर फॉर, विमेंस कालेज कड़जा, सेमरियावॉ, खलीलाबाद (उ.प्र.)
सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु से सम्बद्ध.

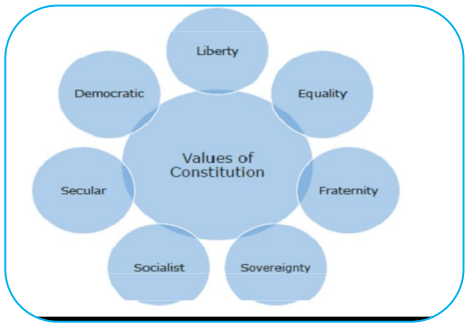

प्राचीन काल से ही भारत विश्व मानचित्र पर लोकतांत्रिक देश के रूप में अंकित रहा है। यथार्थ भी है कि यहाँ सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रधानता रही है। रामायण कालीन संस्कृति में तो लोकतान्त्रिक मूल्य कूट–कूट कर भरे हैं। 'राम' का जन्म ही 'लोक' के लिये हुआ था। जन्म के पश्चात ऋषि मुनियों की याज्ञिक–क्रिया कलापों की सुरक्षा एवं संरक्षा, कोल–किरात–भिल्लों की दीन दशा को सुधारने का प्रयास उनके (शबरी) आतिथ्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना, निषाद राज को पूर्ण आशीर्वाद देना, नारी (अहिल्लया) को मुक्ति और नारी को कुदृष्टि से देखने वालों (बालि) को दण्ड देना, स्वयं श्रम के द्वारा अर्जित वस्तुओं एवं पदार्थों का सेवन और अंततः लोक की रक्षा के लिये पत्नी का परित्याग इत्यादि लोकतांत्रिक मूल्यों की पराकाष्ठा है। 'लोक' की इच्छा जाने बिना न्याय संगत होते हुए भी (राज्याभिषेक) की तैयारी न करना लोकतांत्रिक मूल्य ही तो है–

''जौ पांचहि मत लागै नीका
करहुं हरषि हिय रामहि टीका'

लोक को भली–भांति देखना है, तो आइये चित्रकूट की यात्रा की जाए, जहाँ भरत राम को पुनः अयोध्या ले जाने के लिये अनुनय विनय में लगे हुए हैं। वशिष्ट मुनि भी विराजमान हैं। 'राम' से 'भरत' के आग्रह को सुनकर 'वशिष्ट मुनि' राम से कहते हैं–

करब साधुमत लोकमत,
नृपनय निगम निचोरि।'

अर्थात् हे राम! आप ऐसा निर्णय ले जिसमें साधुमत, लोकमत, राजनीति की अनुकूलता और ज्ञान–परम्परा की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के रामराज की परिकल्पना और भारतीय संविधान के प्रारम्भ में दी गयी प्रस्तावना का स्वरूप 'राम' की 'लोकनीति' के सर्वथा अनुरूप है– ''हम भारतवासी भारत

को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिये उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प है। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर हमने पूर्ण स्वराज की अपनी मंशा पूर्ण कर ली और तभी से प्रति वर्ष 26 जनवरी को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाये जाने की परम्परा बलवती हुई।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सभी शब्द लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। पहला शब्द 'प्रभुत्व संपन्न' का अर्थ उस सर्वोच्च शक्ति से है जो अपने क्षेत्र में पूर्ण और अनियंत्रित होती है। वह राज्य सम्पूर्ण प्रमुत्व संपन्न कहलाता है। जहाँ पर उसके ही क्षेत्र में सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति का जो अन्य किसी को अपने से बढ़कर नहीं मानती वास होता है। इस प्रकार 'प्रमुत्व संपन्न' शब्द से ही भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्य की प्रतिस्थापना की गयी और इस प्रति स्थापना से 'भारत' उसी प्रकार से स्वतंत्र है, जिस प्रकार ब्रिटेन, अमेरिका या अन्य राज्य अर्थ यह है कि भारत को आतंरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हो गयी है। दूसरा शब्द प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक उस व्यवस्था को स्पष्ट करता है जिसमें 'प्रजा' स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना शासन करती है। इसमें आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र भी सम्मिलित है। इससे अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों की उपादेयता क्या हो सकती है जहाँ प्रजा को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक करे। इसी अधिकार के बल पर जनता जब जिस राजनीतिक दल को चाहती है तब सत्ता पर अपना शासन करती है। पहले यह संवैधानिक अधिकार केवल 21 वर्ष की आयु के पश्चात् प्राप्त था, किन्तु इसअधिकार को अधिक से अधिक जनता को प्रदान करने की दृष्टि से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी स्त्री–पुरूषों को प्रदान किया गया जिससे लोकतांत्रिक परम्परा और अधिक सुदृढ़ तो हुई किन्तु परिपक्व निर्णय के अभाव में किसी एक दल की सत्ता का अभाव भी कहा जा सकता है। तीसरा शब्द 'गण राज्य' पूर्ण रूपेण सत्ता को राजा के हाथ से जनता के हाथ में देने के लिये प्रयुक्त है। भारत के अतिरिक्त अनेक देशों में लोकतंत्र है लेकिन वह गण राज्य न होकर संवैधानिक राजतंत्र है राज्य का अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राटवंश परम्परानुसार पद ग्रहण करता है। संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त नागरिकों के लिये सामाजिक, आार्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत के समस्त नागरिक समान है इस आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिये। सामाजिक न्याय के अंतर्गत किसी भी जाति के व्यक्ति को समाज में समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। आर्थिक भेदभाव भी उचित नहीं है। परिश्रम उचित भुगतान प्रत्येक को मिलना चाहिये। संविधान की यह लोकतांत्रिक अवधारणा गीता की निम्नलिखित पक्तियों को सही चरितार्थ करती है कि–

''विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गति हस्तिनी
सुनि चैव श्व पाकेच
पण्डिताः समदर्शिन :।''

अर्थात् विद्या और विनय से सपन्न ब्राह्मण (सभी नहीं) गाय, हाथी, चाण्डाल, और कुत्ता सभी को जो समान भाव से देखता है वही समदर्शी है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि विदेशी आक्रान्ताओं ने धर्म जाति और सम्प्रदाय के नाम पर फूट पैदा कर हमारे ऊपर कुशासन किया, किन्तु स्वतंत्रता के साथ–साथ हमारी बुद्धि सोचने को बाध्य हुयी कि दुराचारियों की इस कुनीति को संविधान द्वारा किसी प्रकार समूल नष्ट करें और इसके लिये संविधान निर्माण के 27 वर्षों बाद यह संशोधन प्रस्तावित किया गया कि भारत एक ''सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न'' धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गण राज्य है। पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। संविधान की चर्चा करते समय बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करना परम कर्त्तव्य समझता हूँ क्योंकि संविधान निर्माण और बाबा साहेब में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

इन महानुमानों की देन है कि आज भारत सम्पूर्ण विश्व में एक सेकूलर स्टेट (Secular State) के रूप में ख्याति प्राप्त है। इसदेश में प्रत्येक नागरिक को अपनी मान्यता के अनुसार पूजा–पाठ, नमाज, इबादत करने

का अधिकार है। धार्मिक दृष्टि से वह पूर्ण स्वतंत्र है। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये साम्प्रादायिक विद्वेष, स्पर्धा ईर्ष्या इत्यादि राष्ट्र विरोधी भावों से दूर रहना होगा। राष्ट्रीय एकता मूलमंत्र सह अस्तित्व को भूलकर हम स्वार्थ मूलक संकीर्ण भाव की साधना में तत्पर होंगे तो राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुँचेगा। कभी–कभी भ्रान्त धारणाओं भ्रामक मिथ्या, प्रचार कार्यों तथा संकीर्ण स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं किन्तु वे कभी स्थायी नहीं होते। हाँ इतना अवश्य है कि इन छोटी–छोटी घटनाओं से राष्ट्रीय एकता चोटिल होती है। अनुमान उपदवी लोग नहीं लगा सकते। ऐसे अवसर पर राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों को पूरी सजगता से इस दूषित मनोवृत्ति और कलुषित वातावरण को हटाने में तत्परता का परिचय देकर संविधान की लोकतांत्रिक मूल्य बनाये रखने में मन, वचन और कर्म से सहयोग देना चाहिये। हमारे यहाँ पारम्परिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के पीछे यही उद्देश्य रहताहै कि हम अपनी प्राचीन अस्मिता से परिचित होकर वर्तमान में सुदृढ़ 'मजबूत' हो सके। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखकर पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक 'जुमा खॉ' को कहना पड़ा कि 'भारत में किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत कोई हिन्दू राज्य नहीं है। वह पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ एक मुसलमान, राष्ट्रपति, हिन्दू प्रधानमंत्री एवं एक सिक्ख सेना का जनरल हो सकता है विस्तार भय के कारण संविधान प्रस्तावना के सभी शब्दों से परिचित होना सम्भव नहीं हो पा रहा है किन्तु कतिपय शब्द जैसे भ्रातृत्व, स्वतंत्रता और समता भी लोकतांत्रिक मूल्यों की उपादेयता पर बल देते हैं। इन सभी शब्दों के लिये ''वयुधैव कुटुम्बकम्'' जिसके लिये आजकल 'भूमण्डलीकरण' शब्द प्रचलित है, बहुत पहले से ही भारतीय संस्कृति की अविछिन्न अंग बना हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को और अधिक पुष्ट करता है। राष्ट्रीय पर्व हम सभी को एक धरातल पर उपस्थित कर देश प्रेम से भर देने वाला पर्व है, यह सभी को तिरंगे के नीचे खड़ा करने का पर्व है और कहें तो भोजपुरी के राम भक्त कवि श्री राम जियावन दास' बावला के शब्दों में –

''बीरन के इतिहास उरेहत भरि–भरि आवै जोश
अमर शहीदन के बेदी से आवति बा जय घोष
बकरी बाघ चलै एक संगा
ध्वजा तिरंगा फहरैला।''

इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषताओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था का संवैधानिक स्वरूप ही है।

आज आवश्यकता इस बात है कि संविधान में निहित लोकतान्त्रिक मूल्यों की सुरक्षा एवं संरक्षा करना समस्त देश वासियों का पावन कर्तव्य हो। आज देश से आतंकवाद को समूल विनष्ट करने के लिये हम सभी लोग तन मन धन से लग जाएँ जिससे आतंकवाद के बल पर देश में घुस पैठ करने वाले आतातायियों को मुंह की खानी पड़े और मानवता की विजय पताका फहराने लगे और महाकवि प्रसाद की वाणी सही सिद्ध हो सके।

शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त विकल विखरे हो,
हो निरूपाय समन्वय उनका करें।''
समस्त विजयिनी मानवता हो जाय।''

कहना न होगा कि यदि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है तो भारत मानवता की जन्मभूमि है। हमारा भी यह जय घोष है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी भारत में है, अन्य कहीं नहीं इसलिये दुश्मनों को चाहिये कि इस अमृत जल से अपने मन को धो डालें।

REFERENCES

1. Rajiv Kothari : Party System and election studies (New Delhi), Allied Publisher, 1967).
2. Myron Weiner : Party Building in a new Nation (University of Chicago Press 1967).
3. Michael Brecher : Neh'u's Mantle The Politics of Succession in India (New York, Fredirick 1966).
4. K.M/Munshi : Indian Constitutional Documents, Vol.1 Bombay Bhartya Vidya Bhawan 1967.
5. Granville, Austin : The Indian Constitution – Corner stone of a Nation oxford, Clarendon Press 1966.
6. Hkkjr dk lafo/kku % Mh0Mh0 clq
7. The Constitution of India : Its Phiosophy and Basic Postalates, D.U.P., 1969.
8. N.A. Palikhiwala : Our Constitution Defaced and Defiled, New Dell Macmillan 1974.